न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्या – 191 / 2023 वाद
GCMS No. – 2023 / 591

1. कुशाल देवी पत्नी भैरूलाल जाति मीणा निवासी देवलखेड़ी तहसील भदेसर राज.।
2. नारायणलाल पुत्र हीरा जाति मीणा निवासी देवलखेड़ी तहसील भदेसर राज.।

–वादीगण

/ / बनाम / /

1. मु0 मांगीबाई पत्नी देवा जाति मीणा निवासी सगवाड़िया तहसील निम्बाहेड़ा राज0।
2. मेघा पुत्र देवा जाति मीणा निवासी सगवाड़िया तहसील निम्बाहेड़ा राज0।
3. शांतिलाल पुत्र हीरालाल जाति मीणा निवासी सगवाड़िया तहसील निम्बाहेड़ा राज0।
4. राज0 सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा राज0।

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– 1– एस.एन. सालवी– अधिवक्ता वादीगण
2– कौशल भराड़िया – अधिवक्ता प्रतिवादी नं0 1 से 3

:: निर्णय :: दिनांक :– 29.12.2023

1. .प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादी ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके मौजा सगवाड़िया पटवार हल्का बाड़ी तहसील निम्बाहेड़ा में मूल साबिक आराजी नम्बर 107 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा था जिसका आपसी तौर से विभाजन 1 / 2–1 / 2 हिस्से अनुसार किया गया जिसके अनुसार साबिक आराजी नम्बर 421 / 107 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा पूर्व तरफ का नारायणलाल, शांतिलाल पिता हीरा, मु0 सबली बाई बेवा हीरा के हिस्से में रखी एवं शेष साबिक आराजी नम्बर 107 मीन रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा पश्चिमी भाग मेघा, भंवरलाल, लोबरू पिता देवा, मु0 मांगीबाई बेवा देवा मीणा के हिस्से में रखी गई। जिसके नवीन सेटलमेन्ट के बाद नवीन आराजी नम्बर 251 रकबा 0.9200 हैक्टेयर पड़े, उसके बाद बंटवारा अनुसार नवीन आराजी नम्बर 482 / 251 रकबा 0.4600 हैक्टेयर वादीगण के नाम दर्ज हुई एवं आराजी नम्बर 251 रकबा 0.4600 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज रेकार्ड हुई। पुष्टि में नकल जमाबंदीयां, मिलान क्षेफल एवं नक्शा ट्रेस की नकले पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.12 17:17:52 IST
Reason: SelfAttested

2. यह कि उक्त आराजियात [illegible] दर्ज हुई [illegible] मौके कब्जे अनुसार एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम की जा[illegible]री वादीगण को [illegible]वादीगण को

नहीं थी, लेकिन अभी हाल ही में वादीगण ने पटवारी हल्का एवं राजस्व विभाग में इस संबंध में नकले ली तो पता चला कि नवीन आराजी नम्बर 482/251 रकबा 0.4600 हैक्टेयर भूमि वादीगण के नाम दर्ज है, लेकिन मौके पर उक्त आराजी पर कब्जा प्रतिवादीगण का है, इसी प्रकार प्रतिवादीगण के नाम पर दर्ज आराजी नम्बर 251 रकबा 0.4600 हैक्टेयर पर कब्जा वादीगण का है। इसलिए वादीगण ने उक्त इन्द्राज को सही कराने हेतु राजस्व कर्मचारियों से कहा तो उन्होंने सक्षम न्यायालय में दावा प्रस्तुत करने की सलाह दी, इसलिए वादीगण की और से यह दावा पेश करना पड़ रहा हैं।

3. अतः वादीगण ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण मौके पर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम पर दर्ज आराजी नम्बर 251 रकबा 0.4600 हैक्टेयर भूमि निरन्तर बिना किसी बाधा के बेरोक टोक शांतिपूर्वक काबिज हो काश्त करते आ रहे है, इसलिए उक्त आराजी नम्बर 251 रकबा 0.4600 हैक्टेयर वादीगण की खातेदारी की घोषित की जाकर राजस्व अभिलेख में भी वादीगण के नाम दर्ज फरमाई जावें एवं आराजी नम्बर 482/251 रकबा 0.4600 हैक्टेयर भूमि वादीगण के नाम दर्ज है, लेकिन मौके पर उक्त आराजी पर कब्जा प्रतिवादीगण का शांतिपूर्वक बिना किसी बाधा के बेरोक टोक चला आ रहा है इसलिए उक्त नवीन आराजी नम्बर 482/251 रकबा 0.4600 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादीगण के नाम घोषित फरमाई जाकर राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज फरमाई जावें।

4. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी नम्बर 1 से 3 ने मय अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने अपने द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में अंकित किया कि वादीगण के वाद में चाहे अनुसार वादीगण का वाद डिक्री किया जावें। वादीगण की पहचान उनके अधिवक्ता श्री एस.एन. सालवी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 से 3 की पहचान उनके अधिवक्ता श्री कौशल भराड़िया ने की। उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दोनों पक्षों को पढ़कर सुनाया गया जिसे सही होना स्वीकार किया। राजीनामा तस्दीक कर शामिल पत्रावली किया गया।

5. वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में दस्तावेज के रूप में ग्राम सगवाड़िया पटवार हल्का बाड़ी की नकल जमाबन्दी संवत् 2077–2080 की खाता संख्या 199 की आराजी नम्बर 482/251 रकबा 0.4600 हैक्टेयर भूमि एवं उक्त आराजी का नक्शे की फोटोप्रति एवं इसी प्रकार ग्राम सगवाड़िया की खाता संख्या 127 की आराजी 251 रकबा 0.4600 हैक्टैयर की नकल जमाबन्दी एवं उक्त आराजी का नक्शे की फोटोप्रति पेश की है। ग्राम सगवाड़िया का नामान्तरकरण एवं मिलान क्षैत्रफल की प्रमाणित प्रति पेश की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.12 17:17:52 IST
Reason: SelfAttested

6. वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रकरण का संक्षिप्त सार यह है कि ग्राम सगवाड़िया पटवार

हल्का बाड़ी की आराजी नम्बर 482/251 रकबा 0.4600 हैक्टेयर भूमि जो वर्तमान जमाबन्दी में वादीगण के नाम दर्ज रेकार्ड है लेकिन मौके पर उक्त आराजी पर प्रतिवदी नं0 1 से 3 का कब्जा है। इसकी प्रकार ग्राम सगवाड़िया पटवार हल्का बाड़ी की आराजी नम्बर 251 रकबा 0.4600 हैक्टेयर भूमि जो वर्तमान जमाबन्दी में प्रतिवादी नम्बर 1 से 3 के नाम दर्ज रेकार्ड है लेकिन उक्त आराजी पर मौके पर वादीगण का कब्जा है। वादीगण अपने नाम दर्ज भूमि को जिस पर प्रतिवादीगण का कब्ज उसे प्रतिवादी नम्बर 1 से 3 नाम घोषित कराना चाहता है तथा प्रतिवादी नम्बर 1 से 3 के नाम दर्ज भूमि जिस पर वादीगण का कब्जा है उसे वादीगण अपने नाम घोषित कराना चाहता है। उक्तानुसार वादग्रस्त भूमि को घोषित किये जाने में वादीगण एवं प्रतिवादी को कोई आपत्ति नही। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया तथा वादीगण के वाद में चाहे अनुसार वादीगण का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन भी किया है। अतः वादीगण का वाद राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है। वादीगण का वाद डिक्री योग्य है।

7. **अतः वादीगण का वाद राजीनामा अनुसार कतई डिक्री किया जाता है। ग्राम सगवाड़िया पटवार हल्का बाड़ी की खाता संख्या 199 की आराजी नम्बर 482/251 रकबा 0.4600 हैक्टेयर भूमि जो वादीगण के नाम दर्ज है उक्त भूमि को प्रतिवादी नम्बर 1 से 3 के नाम घोषित की जाती है, उक्त आराजी में प्रतिवादी नम्बर 1 से 3 का हिस्सा पूर्व में अंकित अनुसार रखा जावें तथा वादीगण का नाम विलोपित किया जावें। इसी प्रकार ग्राम सगवाड़िया पटवार हल्का बाड़ी की खाता संख्या 127 की आराजी नम्बर 251 रकबा 0.4600 हैक्टेयर भूमि जो प्रतिवादी नम्बर 1 से 3 के नाम दर्ज है उक्त भूमि को वादीगण के नाम घोषित की जाती है उक्त आराजी में वादीगण का हिस्सा पूर्व में अंकित अनुसार रखा जावें तथा प्रतिवादी नं0 1 से 3 का नाम विलोपित किया जावें। बैंक रहन होने पर संबंधित खातेदार के घोषित हिस्से पर अंकित किया जावें। प्रतिवादी नं0 3 शांतिलाल पुत्र हीरालाल मीणा निवासी सगवाड़िया का ग्राम सगवाड़िया की आराजी नम्बर 251 रकबा 0.4600 हैक्टेयर में 1/2 हिस्से पर केनरा बैंक, शाखा निम्बाहेड़ा का बैंक रहन दर्ज है उक्त बैंक रहन को अब ग्राम सगवाड़िया की आराजी नम्बर 482/251 में उसके नाम घोषित हिस्से पर अंकित किया जावें। तहसीलदार निम्बाहेड़ा उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करें। निर्णय की प्रति शाखा प्रबंधक केनरा बैंक शाखा, निम्बाहेड़ा को भेजी जावें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।**

निर्णय आज दिनांक 29.12.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.12 17:17:52 IST
Reason: SelfAttested

रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ
सहायक कलक्टर,
निम्बाहेड़ा

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्या – 191/2023 वाद
GCMS No. – 2023/591

1. कुशाल देवी पत्नी भैरूलाल जाति मीणा निवासी देवलखेड़ी तहसील भदेसर राज.।
2. नारायणलाल पुत्र हीरा जाति मीणा निवासी देवलखेड़ी तहसील भदेसर राज.।

–वादीगण

//बनाम//

1. मु0 मांगीबाई पत्नी देवा जाति मीणा निवासी सगवाड़िया तहसील निम्बाहेड़ा राज0।
2. मेघा पुत्र देवा जाति मीणा निवासी सगवाड़िया तहसील निम्बाहेड़ा राज0।
3. शांतिलाल पुत्र हीरालाल जाति मीणा निवासी सगवाड़िया तहसील निम्बाहेड़ा राज0।
4. राज0 सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा राज0।

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

पत्रावली आज दिनांक को वादीगण के अधिवक्ता श्री एस.एन. सालवी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के अधिवक्ता श्री कौशल भराड़िया की उपस्थित में पत्रावली अन्तिम निपटारा हेतु प्रस्तुत होने पर आदेश दिया जाता है कि ग्राम सगवाड़िया पटवार हल्का बाड़ी की खाता संख्या 199 की आराजी नम्बर 482/251 रकबा 0.4600 हैक्टेयर भूमि जो वादीगण के नाम दर्ज है उक्त भूमि को प्रतिवादी नम्बर 1 से 3 के नाम घोषित की जाती है, उक्त आराजी में प्रतिवादी नम्बर 1 से 3 का हिस्सा पूर्व में अंकित अनुसार रखा जावें तथा वादीगण का नाम विलोपित किया जावें। इसी प्रकार ग्राम सगवाड़िया पटवार हल्का बाड़ी की खाता संख्या 127 की आराजी नम्बर 251 रकबा 0.4600 हैक्टेयर भूमि जो प्रतिवादी नम्बर 1 से 3 के नाम दर्ज है उक्त भूमि को वादीगण के नाम घोषित की जाती है उक्त आराजी में वादीगण का हिस्सा पूर्व में अंकित अनुसार रखा जावें तथा प्रतिवादी नं0 1 से 3 का नाम विलोपित किया जावें। बैंक रहन होने पर संबंधित खातेदार के घोषित हिस्से पर अंकित किया जावें। प्रतिवादी नं0 3 शांतिलाल पुत्र हीरालाल मीणा निवासी सगवाड़िया का ग्राम सगवाड़िया की आराजी नम्बर 251 रकबा 0.4600 हैक्टेयर में 1/2 हिस्से पर केनरा बैंक, शाखा निम्बाहेड़ा का बैंक रहन दर्ज है उक्त बैंक रहन को अब ग्राम सगवाड़िया की आराजी नम्बर 482/251 में उसके नाम घोषित हिस्से पर अंकित किया जावें। तहसीलदार निम्बाहेड़ा उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करें। निर्णय की प्रति शाखा प्रबंधक केनरा बैंक शाखा, निम्बाहेड़ा को भेजी जावें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आज दिनांक 29.12.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.12 17:17:52 IST
Reason: SelfAttested

रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ
सहायक कलक्टर,
निम्बाहेड़ा